[2020] 6 एस. सी. आर. 249

/

प्यारे लाल

बनाम

हरियाणा राज्य

(2017 की आपराधिक अपील संख्या 1003) 17 जुलाई, 2020

/

[उदय उमेश ललित, मोहन एम. शांतनागौदर और वाइन सरन, जे. जे.]

भारत का संविधानः

/

अंतर्गत

161----------

---------- -बड़ी पीठों द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्णयों से पता चलता है कि राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए प्रासंगिक सामग्री राज्यपाल के समक्ष रखी जानी चाहिए और उस मामले में विफलता के परिणामस्वविरचित माफी के आदेश को रद्द किया जा सकता है-मारू राम मामले में संविधान पीठ ने कहा था कि सरकार को माफी की शक्तियों के प्रयोग में अपने मार्गदर्शन के लिए नियम बनाने चाहिए-मारू राम मामले में अवलोकन को देखते हुए, नीति द्वारा निर्धारित मानदंड सही थे-इसलिए, मामले को बड़ी पीठ को भेजा जाना आवश्यक है-इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए कि क्या अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, एक नीति तैयार की जा सकती है, जिसके अंतर्गत कुछ मानदंड या अभिधारणाएं निर्धारित की जाती हैं, जिसकी संतुष्टि पर माफी का लाभ दिया जा सकता है। पी. सी.-सजा/सजा-सजा की माफी-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -एस. 433-ए.

/

/

/

मारू राम बनाम भारत संघ और अन्य **(1981) 1** एस. सी. सी.

/

107 :[1981] 1 एससीआर 1196; स्वर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (1998) 4 एस. सी. सी. 75:[1998] 2 एससीआर 206;

एपुरू सुधाकर बनाम ए. पी. सरकार **(2006) 8** एस. सी. सी. **161:**

[2006] 7 पूरक।एस. सी. आर. 81; सतपाल बनाम हरियाणा राज्य (2000) 5 एस. सी. सी. 170: [2000] 3 एस. सी. आर. 858; राज्य

/

249 ए.

250 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2020] 6 एस. सी. आर.

हरियाणा और अन्य बनाम जगदीश **(2010) 4** एस. सी. सी. **216:[2010] 3** एस. सी. आर. **716;** देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर बनाम राज्य

(दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) (2013) 6 एस. सी. सी. 195:[2013] 6 एस. सी. आर. 676- संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

/

[1981] 1 एससीआर **1196**

संदर्भित

पैरा **4**

[1998] 2 एससीआर **206**

संदर्भित

पैरा **5**

[2006] 7 पूरक।एस. सी. आर. **81** पैरा **6 [2000] 3** एस. सी. आर. **858** पैरा **6.1 [2010] 3** एस. सी. आर. **716** पैरा **7 [2013] 6** एस. सी. आर. **676** पैरा **8** को संदर्भित किया गया है।

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2017 की आपराधिक अपील संख्या 1003।

/

2007 की आपराधिक अपील संख्या 170-डी. बी. में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 31.05.2013 के निर्णय और आदेश से।

शिखिल सूरी, शिव कुमार सूरी, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

अमित कुमार, ए. ए. जी., संजय कुमार विसेन, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

/

उदय उमेश ललित, जे।

1. अपीलार्थी (मूल अभियुक्त संख्या 1) को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया है और उसे आजीवन कारावास और कुछ अन्य अपराधों के अंतर्गत जुर्माने और चूक सहित अन्य दंडों की सजा सुनाई गई है।अपील के लिए विशेष अनुमति देते हुए, इस न्यायालय ने अपने दिनांकित 04.07.2017 आदेश द्वारा जमानत के लिए अनुरोध को खारिज कर दिया।इसके बाद जमानत के लिए एक और आवेदन को प्राथमिकता दी गई और जब आवेदन विचार के लिए आया, तो यह बताया गया कि राज्य सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार, वास्तविक सजा के 8 साल पूरे करने और अपीलार्थी की आयु 75 वर्ष से अधिक होने के बाद, उसे 2019 में समय से पहले रिहा कर दिया गया था।इसलिए, इस न्यायालय ने राज्य से एक शपथपत्र दायर करने का आह्वान किया, जिसमें कहा गया है कि क्या नीति वास्तविक ए के पूरा होने से पहले ही समय से पहले रिहाई की अनुमति देती है।

/

/

/

भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 242 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में 14 साल की सजा।

2. राज्य सरकार की ओर से दायर जवाब से संकेत मिलता है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यानी 15 अगस्त, 2019 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल ने कुछ श्रेणियों के कैदियों को विशेष छूट प्रदान की।उस ओर से जारी किया गया दिनांक 02.08.2019 का नीतिगत निर्णय इस प्रकार था:-

/

"हरियाणा के राज्यपाल का आदेश

स्वतंत्रता दिवस अर्थात 15 अगस्त 2019 के अवसर पर, हरियाणा के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन कैदियों को विशेष छूट प्रदान की है जो हरियाणा राज्य में आपराधिक क्षेत्राधिकार के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराए जाने के परिणामस्वरूप सजा काट रहे हैं।दी गई विशेष छूट निम्नानुसार होगी:दोषियों की श्रेणी

/

/

जिन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और पुरुष के मामले अंतर्गत 75 वर्ष या उससे अधिक और महिला के मामले अंतर्गत 65 वर्ष या उससे अधिक की सजा सुनाई गई है और जिन्होंने पुरुष दोषियों के मामले अंतर्गत आठ साल की वास्तविक सजा पूरी की है और महिला दोषियों के मामले अंतर्गत छह साल की वास्तविक सजा पूरी की है, जिसअंतर्गत परीक्षण अवधि और पैरोल अवधि को छोड़कर और जिनका आचरण कारावास के दौरान संतोषजनक रहा है और जिन्होंने पिछले दो वर्षों अंतर्गत कोई बड़ा जेल अपराध नहीं किया है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

/

1) जिन दोषियों को आजीवन कारावास के अलावा अन्य सजा सुनाई गई है और पुरुष के मामले में 75 वर्ष और उससे अधिक और महिला के मामले में 65 वर्ष और उससे अधिक की सजा सुनाई गई है, उन्हें विचाराधीन अवधि और पैरोल अवधि को छोड़कर दो तिहाई वास्तविक सजा पूरी की गई है और जिनका आचरण कारावास के दौरान संतोषजनक रहा है और जिन्होंने पिछले दो वर्षों में कोई बड़ा जेल अपराध नहीं किया है, उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

/

/

ध्यान दें:- उपरोक्त दोषियों की आयु की गणना मैट्रिक प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार की जानी चाहिए और दोनों के अभाव में इसकी गणना निचली न्यायालय के निर्णय के अनुसार की जाएगी और अधीक्षक जेल उम्र की शुद्धता सुनिश्चित करेगा।

/

2) निम्नलिखित अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों को छूट नहीं दी जाएगीः

i) जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है और उनकी सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है।

(ii) 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे का अपहरण और हत्या।

/

(iii) हत्या के साथ बलात्कार।

(iv) डकैती या डकैती

v) जहां न्यायालयों ने कारावास के संबंध में कोई विशिष्ट आदेश जारी किया है।

/

vi) आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1987, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923, विदेशी अधिनियम, 1948, पासपोर्ट अधिनियम, 1967, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1961 की धारा 2 और 3 और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 121 से 130 के अंतर्गत दोषी।

/

(vii) जुर्माने के भुगतान में चूक करने पर दी गई कारावास की सजा को इस छूट के अनुदान के उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं माना जाएगा।

viii) एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 की धारा 32 ए को ध्यान अंतर्गत रखते हुए एन. डी. पी. एस. अधिनियम के तहत

/

ix) किसी भी वर्ग के बंदी

x) पाकिस्तानी नागरिक

xi) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107/109/110 के अंतर्गत अपने अच्छे व्यवहार के लिए शांति बनाए रखने के लिए सुरक्षा देने में विफल रहने के लिए कैद किए गए व्यक्ति।

/

xii) भारतीय दंड संहिता की धारा 489 (ए से ई) के अंतर्गत मुद्रा नोटों की जालसाजी के लिए दोषी ठहराए गए कैदियों के मामले।

/

xiii) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई।

3. यह छूट उन दोषियों को नहीं दी जाएगी जो यह छूट देने के दिन जमानत पर हैं।हालाँकि, यदि वे 15 अगस्त ए को उपरोक्त शर्तों को पूरा करते हैं तो उन्हें रिहा किया जा सकता है।

/

प्यारे लाल बनाम हरियाणा राज्य [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

253

2019, माननीय न्यायालयों के आदेशों के अनुपालन में जेलों में आत्मसमर्पण करने के बाद। "

3. इसके बाद मामले को सुनवाई के लिए लिया गया।हमने उच्चतम न्यायालय कानूनी सेवा समिति की ओर से अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री शिखिल सूरी और राज्य के लिए विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अमित कुमार को सुना।

/

4. मारू राम बनाम भारत संघ और अन्य **1** में, संविधान

इस न्यायालय की पीठ ने संहिता 2 की धारा 433-ए (1978 के अधिनियम 45 द्वारा अंतःस्थापित) की वैधता पर विचार किया।वी. आर. कृष्ण अय्यर, जे. द्वारा लिखित बहुमत निर्णय में निष्कर्ष थेः-

/

"72. हम अपने निष्कर्षों को तैयार करके निष्कर्ष निकालते हैंः

(1) हम धारा 433-ए के अधिकारों पर लगाए गए सभी दबावों को खारिज करते हैं। हो सकता है कि दंडात्मक रूप से अनुभाग द्वारा निर्धारित लंबी अवधि अतिमानसिक हो।अगर हमारे पास हमारे ड्रुथर होते तो हम सुधार के लिए चौदह साल के गर्भधारण की आवश्यकता को नकार देते।लेकिन हमारा अर्थ है, निर्माण नहीं, डिकोड करने के लिए, कोड बनाने के लिए नहीं।(2) हम विभिन्न राज्यों द्वारा बनाए गए छूट नियमों और छोटी सजा वाले कानूनों पर धारा 433-ए की वर्तमान सर्वोच्चता की पुष्टि करते हैं।

/

(3) हम संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत पारित सभी छूटों और छोटी सजा को बरकरार रखते हैं, लेकिन आजीवन कारावास के मामलों में रिहाई का पालन केवल सरकार द्वारा सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आदेश देने पर ही किया जाएगा।

/

(4) हमारा मानना है कि धारा 432 और धारा 433 संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 की अभिव्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक अलग, हालांकि समान शक्ति है, और धारा 433-ए, इन पूर्व प्रावधानों को पूरी तरह या आंशिक रूप से रद्द करके, क्षमा करने, कम्यूट करने और इसी तरह की संवैधानिक शक्ति के पूर्ण संचालन का उल्लंघन या विघटन नहीं करती है।

/

(5) हम इस दलील को नकारते हैं कि धारा 433-ए संविधान के अनुच्छेद 20 (1) का उल्लंघन करती है।

/

(6) हम गोडसे मामले 3 का पालन करते हैं कि आजीवन कारावास अंतिम सांस तक रहता है, और माफी की अवधि जो भी हो,

1 (1981) 1 एससीसी 107

2 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973

/

3 (1961) 3 एस. सी. आर. 440 (गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य)

कैदी केवल तभी रिहाई का दावा कर सकता है जब सरकार द्वारा शेष सजा माफ कर दी जाए।

(7) हम घोषणा करते हैं कि धारा 433-ए, इसके दोनों अंगों में (यानी इसमें निर्दिष्ट दोनों प्रकार के आजीवन कारावास), प्रभावी होने की संभावना है।स्थिति को संदेह से परे रखने के लिए, हम निर्देश देते हैं कि अनिवार्य न्यूनतम 14 साल का वास्तविक कारावास उन लोगों के खिलाफ काम नहीं करेगा जिनके मामलों का फैसला निचली विचारण न्यायालय द्वारा 18 दिसंबर, 1978 से पहले किया गया था जब धारा 433-ए लागू हुई थी।जिन सभी "आजीवन कारावासियों" को उस तारीख से पहले न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, वे अर्जित छूट के बल पर रिहाई के लिए सरकार द्वारा विचार करने के हकदार हैं, हालांकि रिहाई केवल तभी हो सकती है जब सरकार उस प्रभाव का आदेश देती है।इस हद तक काल की लड़ाई कैदियों द्वारा जीती जाती है।इसी तर्क के अनुसार, अल्प-सजा वाले विधान, यदि कोई हों, एक कैदी को उसके तहत रिहाई का दावा करने का

अधिकार देंगे, यदि पहली बार न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि धारा 433-ए को लागू करने से पहले की गई थी।

/

/

/

(8) संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किया जा सकता है, न कि राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने दम पर।उपयुक्त सरकार की सलाह राज्य के प्रमुख को बाध्य करती है।प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए कोई अलग आदेश आवश्यक नहीं है, लेकिन किए गए किसी भी सामान्य आदेश को मामलों के समूह की पहचान करने और पूरे समूह के लिए दिमाग के अनुप्रयोग को इंगित करने के लिए पर्याप्त स्पष्ट होना चाहिए।

/

(9) अनुच्छेद 72/161 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के लिए विचार असंख्य हो सकते हैं और उनके अवसर सुरक्षित हो सकते हैं, और उपयुक्त सरकार पर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी विचार या अवसर पूरी तरह से अप्रासंगिक, तर्कहीन, भेदभावपूर्ण या दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकता है।केवल इन दुर्लभ मामलों में न्यायालय अभ्यास की जांच करेगी।

/

(10) यद्यपि छूट नियम या अल्प-सजा के प्रावधान धारा 433-ए के विरुद्ध प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे धारा 433-ए को ओवरराइड करेंगे यदि सरकार, केंद्र या राज्य, अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए स्वयं को उन्हीं नियमों या योजनाओं द्वारा निर्देशित करती है। हम इसे उचित मानते हैं कि जब तक एकत्र किए गए अनुभव, वर्तमान सामाजिक स्थितियों और स्वीकृत दंडात्मक सोच को ध्यान में रखते हुए नए नियम नहीं बनाए जाते हैं-हमारे विचार में एक वांछनीय कदम-वर्तमान छूट और जारी करने की योजनाएँ

/

/

उपयोगी रूप से अनुच्छेद 72/161 के अंतर्गत दिशानिर्देशों के रूप में लिया जाए और जारी करने के आदेश पारित किए जाएं।हम सरकार को दोष नहीं दे सकते, अगर कुछ कठोर रूप से क्रूर अपराधियों में, धारा 433-ए को स्वयं अनुच्छेद 72/161 के प्रयोग के लिए एक दिशानिर्देश के रूप में

माना जाता है।हमारी ये टिप्पणियां एक अंतराल से बचने के लिए अनुशंसित हैं, लेकिन यह सरकार, केंद्र या राज्य को तय करना है कि क्या और क्यों वर्तमान छूट नियम तब तक जीवित नहीं रहना चाहिए जब तक कि एक अधिक संपूर्ण योजना द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है।

/

(11) यू. पी. प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938, जो लाइसेंस के अंतर्गत सीमित विस्तार को सक्षम बनाता है, एक खुले और उदार प्रकार के विधायी रूप से स्वीकृत कारावास के रूप में प्रभावी होगा और इस तरह के लाइसेंस वाले विस्तार की गणना 14 साल की अवधि के उद्देश्य के लिए की जाएगी।इसी तरह के अन्य क़ानून और नियम समान प्रभावकारिता का आनंद लेंगे।

/

(12) हमारे विचार में, दंडात्मक मानवतावाद और पुनर्वास की इच्छा कैदियों के लिए सुरक्षा सुरक्षा उपायों और अन्य मानवीय रणनीतियों के अधीन उदार पैरोल की गारंटी देती है ताकि सामूहिक जेलों को मानवजन्य चिड़ियाघर बनाकर मानव व्यक्ति की गरिमा और मूल्य को अपवित्र न किया जाए।मानवाधिकार जागरूकता को संस्थागत सुधारों को बढ़ावा देना चाहिए और विकल्पों की खोज करनी चाहिए।

/

(13) हमने विधि को ठीक घोषित किया है, लेकिन कार्रवाई में विधि केवल घोषणा द्वारा ही पूरा नहीं होता है और लक्षित समुदाय के लिए संचार के पंखों की आवश्यकता होती है।इसलिए, इस न्यायालय से आगे का निर्देश जाता है कि अंतिम डिक्रिटल भाग का अनुवाद किया जाए और प्रत्येक वार्ड में प्रमुखता से रखा जाए और पूरे निर्णय को राज्य की भाषा में जेल पुस्तकालय में कैदियों को उपलब्ध कराया जाए।

/

/

(14) धारा 433-ए 14 साल की अवधि के भीतर पैरोल या अन्य रिहाई को मना नहीं करती है।अतः इस धारा की व्याख्या करना कि आंतरिक तनाव और स्वतंत्रता के अवरोधों को तेज करना भाषा और स्वतंत्रता के लिए हिंसा करना है। "

/

(4. 1) पर जोर दिया गया।एक ओर संहिता या अन्य कानूनों के प्रावधानों के अंतर्गत प्रयोग की जाने वाली सजाओं को कम करने और माफ करने की शक्तियों और दूसरी ओर संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत संवैधानिक शक्तियों के बीच के अंतर को बहुमत के निर्णय में निम्नानुसार निपटाया गया थाः-

/

256

/

[2020] 6 एस सी आर।

"59. यह स्पष्ट है कि सतही रूप से देखे जाने पर, दो शक्तियाँ, एक संवैधानिक और दूसरी वैधानिक, सह-व्यापक हैं।लेकिन दो चीजें समान हो सकती हैं लेकिन समान नहीं।वास्तव में यही अंतर है।हम इस बात से सहमत नहीं हो सकते कि जो शक्ति संहिता की रचना है, उसे संघ और राज्यों के सर्वोच्च अधिकारियों में संविधान द्वारा निहित उच्च विशेषाधिकार के बराबर माना जा सकता है।स्रोत अलग है, पदार्थ अलग है, शक्ति अलग है, हालाँकि धारा एक ही तल के साथ बह रही हो सकती है।हम दोनों शक्तियों को समान होने से बहुत दूर देखते हैं, और जाहिर है, संवैधानिक शक्ति "अछूत" और "अप्राप्य" है और सरल विधायी प्रक्रियाओं के उतार-चढ़ाव को सहन नहीं कर सकती है।इसलिए, धारा 433-ए को अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 72 और 161 का उल्लंघन करने के रूप में अमान्य नहीं किया जा सकता है।संहिता जो कुछ भी देती है, वह ले सकती है, और इसलिए, धारा 432 और 433 (ए) पर प्रतिबंध संसद की विधायी शक्ति के भीतर है।

/

/

60. फिर भी, हमें अनुच्छेद 72 और 161 की संवैधानिक स्थिति को याद रखना चाहिए और यह सामान्य आधार है कि धारा 433-ए राज्यपाल या राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति को थोड़ा भी प्रभावित नहीं करती है और न ही कर सकती है।इस तर्क का आवश्यक परिणाम यह है कि धारा 433-ए के बावजूद राष्ट्रपति और राज्यपाल उपरोक्त अनुच्छेदों के अंतर्गत परिवर्तन और मुक्ति की शक्ति का प्रयोग करना जारी रखते हैं।

/

/

61. क्या हम वर्ग एक पर वापस आ गए हैं?क्या संसद एक औपचारिक जीत के साथ विधायी निरर्थकता में लिप्त हो गई है लेकिन एक वास्तविक हार है?इसका जवाब "हां" और "नहीं" है।"हाँ" क्यों?क्योंकि राष्ट्रपति प्रतीकात्मक है, केंद्र सरकार वास्तविकता है, भले ही राज्यपाल कार्यकारी शक्ति का औपचारिक प्रमुख और एकमात्र भंडार है, लेकिन अपनी मंत्रिपरिषद की सलाह के अलावा और उसके अनुसार कार्य करने में असमर्थ है।परिणाम यह है कि राज्य सरकार, चाहे राज्यपाल को पसंद हो या न हो, अनुच्छेद 161 के अंतर्गत सलाह और कार्य कर सकती है, राज्यपाल उस सलाह से बाध्य है।इस प्रकार परिवर्त्तन और रिहाई की कार्रवाई सरकारी निर्णय के अनुसरण में हो

सकती है और आदेश राज्यपाल की मंजूरी के बिना भी जारी किया जा सकता है, हालांकि, कार्य नियमों के अंतर्गत और संवैधानिक शिष्टाचार के मामले के रूप में, यह अनिवार्य है कि राज्यपाल के हस्ताक्षर को क्षमा, परिवर्तन या रिहाई को अधिकृत करना चाहिए।राष्ट्रपति के संबंध में स्थिति काफी हद तक समान है।यह राष्ट्रपति या ए के लिए खुला नहीं है।

/

/

/

प्यारे लाल बनाम हरियाणा राज्य [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

257

राज्यपाल को स्वतंत्र निर्णय लेना या अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को सीधे रिहा करना या रिहा करने से इनकार करना।यह वेस्टमिंस्टर प्रणाली के लिए मौलिक है कि मंत्रिमंडल शासन करता है और रानी शासन करती है क्योंकि हमारी प्रणाली के लिए बहुत गहराई से जड़ें हैं, विद्वान सॉलिसिटर-जनरल से कोई गंभीर मुठभेड़ नहीं हुई, जिनकी बुनियादी बातों की निश्चित समझ ने उन्हें इस प्रस्ताव का विरोध करने की अनुमति नहीं दी, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, चाहे वे पाठ्य शब्दावली में इतने उच्च हों, लेकिन कार्यात्मक सौम्योक्ति हैं जो तुरंत कार्य कर रहे हैं और केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही शक्ति के एक संकीर्ण क्षेत्र में हैं।यह विषय अब विवाद से परे है, इस न्यायालय ने शमशेर सिंह मामले 4 में आधिकारिक रूप से विधि निर्धारित किया है।इसलिए, हम सामान्य खंड अधिनियम, 1897 के अनुच्छेद 367 (1) और धारा 3 (8) (बी) और 3 (60) (बी) के संदर्भ के बिना भी सहमत हैं कि, अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग के मामले में, हमारी संवैधानिक योजना में दो सर्वोच्च गणमान्य व्यक्ति कार्य करते हैं और उन्हें अपने निर्णय पर नहीं बल्कि मंत्रियों की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए।42 वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 74 अटकलों को शांत करता है और अनुपालन को बाध्य करता है।राज्यपाल अपने मंत्रिमंडल की तुलना में राष्ट्रपति से बड़ा नहीं होता है, सिवाय एक संकीर्ण क्षेत्र के जिसमें अनुच्छेद 161 शामिल नहीं है।संवैधानिक निष्कर्ष यह है कि राज्यपाल राज्य सरकार के लिए एक संक्षिप्त अभिव्यक्ति है और राष्ट्रपति केंद्र सरकार के लिए एक संक्षिप्त नाम है।(4. 2) पर जोर दिया गया। बहुमत के निर्णय ने राज्यपाल द्वारा दिनांकित 18.07.1978 आदेश जारी करते समय संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग को मंजूरी नहीं दी, लेकिन सरकार द्वारा "अपने स्वयं के मार्गदर्शन के लिए" नियम बनाने के औचित्य पर जोर दिया।

/

/

/

/

/

"62. गहन महत्व का मुद्दा चर्चा के इस चरण में हमारे विचार की मांग करता है।क्षमा, परिवर्तन और रिहाई (अनुच्छेद 72 और 161) की शक्ति जितनी व्यापक है, वह दंगा नहीं कर सकती; क्योंकि कोई भी कानूनी शक्ति घोड़े पर सवार जॉन गिलपिन की तरह अनियंत्रित रूप से नहीं चल सकती है, लेकिन उसे समझदारी से एक स्थिर मार्ग पर बने रहना चाहिए।यहाँ, हम दूसरे संवैधानिक आधार पर आते हैं जो वकील की प्रस्तुतियों का आधार है।यह है कि संवैधानिक शक्ति सहित सभी सार्वजनिक शक्तियों का कभी भी मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं किया जाएगा और आम तौर पर, निष्पक्ष और समान निष्पादन के लिए दिशानिर्देश वैध शक्तियों की गारंटी देते हैं।

/

4 (1974) 2 एस. सी. सी. 831

/

शक्ति का खेल।हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि ये सिद्धांत हमारे संवैधानिक क्रम में मान्य हैं।

... ...

65. क्षमा करें, इस अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ में उपयोग करते हुए, उचित अभ्यास का आदेश देता है, जैसा कि हमने ऊपर संकेत दिया है।राजनीतिक प्रतिशोध या पार्टी पक्षपात इस क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वालों के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है।वह क्रम जो बाहरी या दुर्भावनापूर्ण कारकों का उत्पाद है, अभ्यास को दूषित कर देगा।जबकि संवैधानिक शक्ति चुनौती से परे है, इसका वास्तविक अभ्यास अभी भी कमजोर हो सकता है।इसी तरह, मज़बूत मानदंड अभ्यास को रद्द कर देंगे।उदाहरण के लिए, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री अपने जन्मदिन पर या अपने बेटे के जन्म के कारण अपने राज्य की जेलों में बंद सभी लोगों को रिहा करता है, तो इस तरह के पागलपन को जीवित रहने देना संविधान पर आक्रोश होगा।हम ये टिप्पणियां इसलिए करते हैं क्योंकि यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि किसी गृह मंत्री की केंद्रीय जेल की यात्रा को इतना शुभ शकुन माना गया था कि जेल में सभी कैदियों को केवल इसी कारण से पर्याप्त छूट दी गई थी।आश्चर्य की बात है कि इस अनुकूल परिस्थिति का पता एक साल बाद चला और मंत्री के जेल जाने के काफी समय बाद

माफी का आदेश जारी किया गया।हरियाणा सरकार द्वारा 18 जुलाई, 1978 को पारित वास्तविक आदेश इस प्रकार है:/

/

/

/

/

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल उसी पैमाने और शर्तों पर विशेष छूट प्रदान करते हैं जैसा कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय के पत्र सं. यू. 13034/59/77 दिनांक 10 जून, 1977 उन कैदियों को जो 29 मई, 1977 को केंद्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में कैद थे, भारत सरकार के गृह मंत्री की उक्त जेल की यात्रा के समय और जिन्हें हरियाणा राज्य में आपराधिक क्षेत्राधिकार की दीवानी अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया है।ए. बनर्जी

/

/

हरियाणा सरकार के जेल विभाग के सचिव ने तारीख दी:चंडीगढ़,

18 जुलाई, 1978। "

5 No.41/8/78/-JJ (5) दिनांकित:चंडीगढ़, 28 जुलाई, 1978 ए

/

प्यारे लाल बनाम हरियाणा राज्य [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

259

इस तर्क को थोड़ा और आगे बढ़ाएँ तो बेतुकी बात स्पष्ट हो जाएगी।किसी भी संवैधानिक शक्ति को अधिकार में पुरुषों के व्यक्तिगत अहंकार द्वारा अश्लील नहीं किया जा सकता है।इसी तरह, यदि किसी विपक्षी नेता को सजा सुनाई जाती है, लेकिन परिस्थितियाँ माफी के लिए पुकारती हैं जैसे कि वह कैंसर से पीड़ित है या उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार है या उसने खुद को पूरी तरह से सुधार लिया है, तो अनुच्छेद 72/161 के अंतर्गत माफी की शक्ति का उपयोग सामान्य रूप से किया जा सकता है और इनकार गलत हो सकता है।दूसरी ओर, यदि एक क्रूर हत्यारे, जो अपने नरसंहार में खून के प्यासे थे, को न्यायालय ने अपनी क्रूरता के बारे में कड़ी टिप्पणियों के साथ सजा सुनाई है, तो दोषसिद्धि के अगले ही दिन अपनी पूरी आजीवन कारावास की सजा को केवल इसलिए माफ

करना अहंकारपूर्ण और अप्रासंगिक हो सकता है क्योंकि वह सत्ता में पार्टी में शामिल हो गया है या किसी राजनीतिक उच्च पदस्थ व्यक्ति का करीबी संबंध है।यदि न्यायालय इस शक्ति का बार-बार दुरुपयोग पाता है तो उसे भेदभाव की जांच करनी पड़ सकती है।यदि सरकार को संस्थापक पिताओं के साथ विश्वास रखना है, तो उचित बात यह है कि विशेष परिस्थितियों या अचानक विकास से निपटने के लिए एक बड़ी अवशिष्ट शक्ति रखने के लिए क्षमा शक्ति के प्रयोग में अपने स्वयं के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए जाएं।यह भेदभाव के दोष को बाहर कर देगा जैसे कि दो व्यक्तियों को एक ही मामले में समान स्तर के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, लेकिन एक को रिहा कर दिया गया है और दूसरे को धर्म, जाति, रंग या राजनीतिक निष्ठा जैसे अप्रासंगिक कारणों से मना कर दिया गया है। "

/

/

/

/

(जोर दिया गया) 4.3।निर्णय बनिर्णय हनिर्णय ुनिर्णय मनिर्णय तनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय फनिर्णय ैनिर्णय सनिर्णय लनिर्णय ेनिर्णय निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय निर्णय आनिर्णय गनिर्णय ानिर्णय हनिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय निर्णय गनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय वनिर्णय लनिर्णय निर्णय कनिर्णय ानिर्णय रनिर्णय ानिर्णय वनिर्णय ानिर्णय सनिर्णय निर्णय कनिर्णय ीनिर्णय निर्णय अनिर्णय वनिर्णय धनिर्णय िनिर्णय निर्णय हनिर्णय ीनिर्णय निर्णय एनिर्णय कनिर्णय निर्णय दनिर्णय ोनिर्णय षनिर्णय ीनिर्णय निर्णय मनिर्णय ेनिर्णय ंनिर्णय निर्णय अनिर्णय चनिर्णय ्निर्णय छनिर्णय ानिर्णय ईनिर्णय निर्णय कनिर्णय ोनिर्णय निर्णय फनिर्णय िनिर्णय रनिर्णय निर्णय सनिर्णय ेनिर्णय निर्णय पनिर्णय ैनिर्णय दनिर्णय ानिर्णय निर्णय ननिर्णय हनिर्णय ीनिर्णय ंनिर्णय निर्णय कनिर्णय रनिर्णय निर्णय सनिर्णय कनिर्णय तनिर्णय ीनिर्णय निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय निर्णय औनिर्णय रनिर्णय निर्णय कनिर्णय हनिर्णय ानिर्णय निर्णय गनिर्णय यनिर्णय ानिर्णय निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय निर्णय कनिर्णय िनिर्णय निर्णय मनिर्णय ानिर्णय फनिर्णय ीनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय ननिर्णय िनिर्णय यनिर्णय मनिर्णय निर्णय अनिर्णय ननिर्णय ुनिर्णय शनिर्णय ंनिर्णय सनिर्णय िनिर्णय तनिर्णय निर्णय पनिर्णय ्निर्णय रनिर्णय कनिर्णय ृनिर्णय तनिर्णय िनिर्णय निर्णय कनिर्णय ेनिर्णय निर्णय पनिर्णय ्निर्णय रनिर्णय भनिर्णय ानिर्णय वनिर्णय ीनिर्णय निर्णय दनिर्णय िनिर्णय शनिर्णय ानिर्णय ननिर्णय िनिर्णय रनिर्णय ्निर्णय दनिर्णय ेनिर्णय शनिर्णय निर्णय हनिर्णय ोनिर्णय निर्णय सनिर्णय कनिर्णय तनिर्णय ेनिर्णय निर्णय हनिर्णय ैनिर्णय ंनिर्णय ःनिर्णय -

/

"67. ये सब साबित करते हैं कि कारावास की अवधि भीतर की अच्छाई का पुनर्योजी नहीं है और इसके विपरीत का प्रमाण हो सकता है-एक ऐसी आपदा जिसे अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग से टाला जा सकता है, विशेष रूप से जब परिस्थितियां अच्छे व्यवहार, मेहनती आचरण, सामाजिक जिम्मेदारी और मानवीय प्रतिक्रियाओं को दर्शाती हैं जो आमतौर पर माफी के रूप में जमा किए गए निशान में परिलक्षित होती हैं।संक्षेप में, छूट के नियम एक अनुशंसित प्रकृति के प्रभावी दिशानिर्देश हो सकते हैं, जो सरकार को शेष अवधि को माफ करके कैदी को रिहा करने में सहायक हो सकते हैं। "

/

/

(जोर दिया गया)

4.4.यह भी देखा गयाः-

"69. विधि का शासन, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत , सभी सार्वजनिक शक्तियों को जिम्मेदार, उत्तरदायी, उच्च उद्देश्यों द्वारा सूचित और लोगों के कल्याण के लिए तैयार किए गए विनियमित अभ्यास में बदल देता है।लेकिन अतीत के ज्ञान और अनुभव को माफी के नियमों और संक्षिप्त सजा के नियमों में अभिव्यक्ति मिली है।कई दशकों में फैले इन विशेष और स्थानीय अनुभवों की निरर्थकता या मूर्खता के बारे में 1978 में संसद द्वारा कोई नई खोज स्पष्ट नहीं है।कोई उच्च-शक्ति समिति की रिपोर्ट, कोई विशेषज्ञ निकाय की सिफारिशें, छूट और रिलीज के कारण पुनरावृत्ति में कोई वृद्धि, हमारे ध्यान में नहीं लाई गई है।हत्यारों की समय से पहले रिहाई के कुछ मामलों पर प्रभावशाली प्रतिक्रिया दी गई है, यहां तक कि इन क्वॉन्डम दोषियों के बाद के जीवन का अनुवर्ती अध्ययन किए बिना।हम बंद जेलों के दंडात्मक विकल्पों में ज्ञान के उदय को वर्तमान प्रवृत्ति और कारावास की विफलता को सार्वभौमिक विलाप के रूप में पाते हैं।हम, दिल से, खुली जेलों में प्रयोगों का निरीक्षण करते हैं, जो उम्रकैद, उदार पैरोल और जांच, किशोर न्याय की उदारता और लाइसेंस प्राप्त रिहाई या पट्टा के अंतर्गत स्वतंत्रता से भरे होते हैं-ए ला द यू. पी. प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938।हम निराशा के बिना इस परपीड़क अंधविश्वास के प्रति परिवर्तन को नहीं देख सकते हैं कि एक आजीवन दोषी को जितना अधिक समय तक पिंजरे में रखा जाएगा, उतना ही निश्चित रूप से उसका मोचन होगा।यह हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि, एक इष्टतम बिंदु से परे, मान लीजिए, आठ साल-हमारा मतलब कोई निश्चित सूत्र नहीं है-जेल निरोध और एक कैदी की घबराहट को नष्ट कर देता है या उसे क्रूर बना देता है।यदि पशु फार्म सुधारात्मक नहीं हैं, तो छूट के

नियम और छोटी सजा देने की योजनाएं करुणा और मानसिक तनाव को कम करने का एक मानवीय चक्र हैं।हमें इस धारणा को अस्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अनुच्छेद 72/161 अप्रमाणित रहना चाहिए।हमें माफी की शक्ति के प्रयोग के लिए अच्छे दिशानिर्देशों के रूप में माफी और अल्प-सजा योजनाओं की अस्थायी स्वीकृति का निर्देश देना होगा-एक ऐसा क्षेत्राधिकार जिसका उपयोग जितनी बार हो सके और व्यवस्थित रूप से किया जाना चाहिए और इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए, जितना ऐसा करने का प्रलोभन सत्ता की कलम पर दबाव डाल सकता है।70. विद्वान महान्यायवादी का कहना सही है कि ये नियम स्पष्ट रूप से जेल अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए हैं न कि संवैधानिक शक्ति के अंतर्गत ।पहला धारा 433-ए के दबाव अंतर्गत विफल हो जाता है। लेकिन यह किसी भी तरह से राज्यों को कार्यशील ए के रूप अंतर्गत अपनाने से नहीं रोकता है।

/

/

/

/

/

/

/

प्यारे लाल बनाम हरियाणा राज्य [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

261

वही छूट योजनाएं लागू करती हैं जो हमें काफी उचित लगती हैं।आखिरकार, सरकार प्रत्येक कैदी का सावधानीपूर्वक अध्ययन नहीं कर सकती है और अंकों का वर्तमान अभ्यास, जब तक कि एक अधिक उन्नत और विशेषज्ञ सलाह योजना विकसित नहीं की जाती है, तब तक काम कर सकती है। धारा 433-ए इस विधि को मना नहीं कर सकती क्योंकि इसे अनुच्छेद 161 द्वारा प्रतिरक्षित किया गया है।हम दृढ़ता से सुझाव देते हैं कि अनुच्छेद 161 में आत्मा के स्थानांतरण के रूप में उसी नियम और छूट की योजनाओं को बिना किसी उल्लंघन के जारी रखा जाना चाहिए, जैसा कि यह था, और उन सभी को लाभ दिया जाना चाहिए जो अपनी सौम्य कक्षा के भीतर आते हैं-निश्चित रूप से, विशेष मामलों को छोड़कर, जिनके लिए अन्य प्रासंगिक विचारों की आवश्यकता हो सकती है। कार्यकारी क्षमादान की व्यापक शक्ति को स्व-निर्मित नियमों से भी नहीं बांधा जा सकता है। "

/

/

5. स्वर्ण सिंह बनाम में। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य **6,** आदेश

राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत पारित, हत्या के अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को माफी प्रदान करते हुए, दोषी के दो साल की वास्तविक सजा पूरी करने से पहले ही, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया था।यह देखा गया:-

/

"8. हमारे निर्देश पर, उत्तर प्रदेश राज्य के स्थायी वकील ने दूध नाथ को सजा में छूट देने से संबंधित फाइलें पेश की हैं।हमने इस बात पर ध्यान दिया है कि राज्यपाल को कैदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में नहीं बताया गया था जैसे कि गंभीर अपराधों के पांच अन्य आपराधिक मामलों में उसकी संलिप्तता, उसी आधार पर दायर की गई उसकी पूर्व दया याचिका की अस्वीकृति, जेल अधिकारियों की रिपोर्ट कि जेल के अंदर उसका आचरण संतोषजनक नहीं था, और दो साल और पांच महीने में से वह जेल में होना चाहिए था, वह वास्तव में उसके बड़े हिस्से के दौरान पैरोल पर था।

/

/

9. तीसरे प्रत्यर्थी के विद्वान वकील दूध नाथ ने मुख्य आधार पर इस अपील का विरोध किया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति या उसके अनुच्छेद 161 के अंतर्गत किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश गैर-न्यायसंगत है और इसलिए न्यायालय उन कारणों पर गौर नहीं कर सकता है जो संवैधानिक पदाधिकारी को किसी कैदी को राहत या छूट देने के लिए राजी करते हैं।

/

10. इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अनुच्छेद **72** के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग की न्यायिक समीक्षा के दायरे पर विचार किया है और

6 (1998) 4 एससीसी 75

/

161 केहर सिंह बनाम भारत संघ 7 में भारत के संविधान का।पीठ ने यह देखने के बाद कि भारत का संविधान एक संवैधानिक दस्तावेज है जो देश के शासन के लिए मौलिक है, जिसके अंतर्गत भारत के लोगों ने संविधान में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कुछ प्राथमिक अंगों, संस्थानों और कार्यकर्ताओं से मिलकर एक संवैधानिक राजनीति प्रदान की है, इस प्रकार जोड़ाः(एस. सी. सी. पी. 210, पैरा 7)

/

"सारी शक्ति लोगों के पास होती है और यह उनके द्वारा एक संवैधानिक व्यवस्था को लागू करने, बनाए रखने और संचालित करने के इरादे से निर्दिष्ट संस्थानों और कार्यकर्ताओं को सौंपी जाती है।" संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा का उपयोग गुण-दोष के आधार पर नहीं किया जा सकता है, सिवाय इसके कि मारू राम बनाम भारत संघ 1 में परिभाषित सख्त सीमाओं के भीतर किया गया हो।संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग पर न्यायिक समीक्षा की सीमाओं को संविधान पीठ द्वारा उक्त निर्णय में चित्रित किया गया है।यह देखा गया है कि "संवैधानिक शक्ति सहित सभी सार्वजनिक शक्तियों का कभी भी मनमाने ढंग से या दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रयोग नहीं किया जाएगा, और आम तौर पर निष्पक्ष और समान निष्पादन के लिए दिशानिर्देश शक्ति के वैध खेल की गारंटी देते हैं।"पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति होने के नाते, यह अपने आप में एक विधि नहीं हो सकता है, लेकिन इसे संविधानवाद के सूक्ष्म सिद्धांतों द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

/

/

/

11. इसलिए, पीठ द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि विशेष स्थितियों या अचानक विकास से निपटने के लिए एक बड़ी अवशिष्ट शक्ति रखते हुए क्षमा शक्ति के प्रयोग में अपने स्वयं के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए जाएं।12. उपरोक्त तय कानूनी स्थिति को देखते हुए, हम तीसरे प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील के कठोर तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि इस न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा पारित आदेश को छूने की कोई शक्ति नहीं है।यदि इस तरह की शक्ति का प्रयोग मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से या संविधानवाद के सूक्ष्म नियमों की पूर्ण अवहेलना में किया गया था, तो उप-उत्पाद आदेश को विधि की मंजूरी नहीं मिल सकती है और ऐसे मामलों में, न्यायिक हाथ उस पर बढ़ाया जाना चाहिए।

/

/

13. वर्तमान मामले में, जब राज्यपाल को ऊपर बताए गए भौतिक तथ्यों के साथ तैनात नहीं किया गया था, तो राज्यपाल को स्पष्ट रूप से एक मामले में शक्तियों का प्रयोग करने के अवसर से वंचित कर दिया गया था।

/

7 (1989) 1 एससीसी 204 ए

निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से।इसके विपरीत, आदेश अब मनमानेपन पर आक्षेप आक्षेपित है। यदि राज्यपाल को उपरोक्त तथ्यों और सामग्रियों से अवगत कराया जाता तो राज्यपाल ने क्या आदेश दिया होता, इस पर हमें अभी विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि न्यायालय तब उन आधारों के गुण-दोष पर विचार नहीं कर सकता है जो राज्यपाल को उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निर्णय लेने के लिए राजी करते थे।इस प्रकार, जब इन कार्यवाहियों में आक्षेपित राज्यपाल का आदेश मारू राम मामले 1 में निर्धारित सख्त मापदंडों के भीतर न्यायिक समीक्षा के अधीन है और केहर सिंह मामले 7 में दोहराया गया है, तो हम महसूस करते हैं कि राज्यपाल उन सामग्रियों के आलोक में दूध नाथ की याचिका पर पुनर्विचार करेंगे जिन्हें उन्हें पहले जानने का कोई अवसर नहीं मिला था। "

/

/

(जोर दिया गया)

6. एपुरू सुधाकर बनाम में। ए. पी. **8** की सरकार, की डिवीजन बेंच

इस न्यायालय को अपराध की पीड़ित के कहने पर राज्य के राज्यपाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत पारित आदेश को चुनौती देने पर विचार करने के लिए कहा गया था, जिसमें अभियुक्त की अप्राप्त सजा के संबंध में छूट दी गई थी।

/

6.1.अग्रणी निर्णय में, जे. पसायत ने निर्णय ों का उल्लेख किया

इस न्यायालय के स्वर्ण सिंह **6** और सतपाल बनाम हरियाणा राज्य **9** मामले में

इसके अंतर्गतः- "29. स्वर्ण सिंह मामले 6 में तथ्यात्मक परिदृश्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दूधनाथ नामक व्यक्ति को जोगिंदर सिंह नामक व्यक्ति की हत्या का दोषी पाया गया और उसे

आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।उच्च न्यायालय में उनकी अपील और इस न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका असफल रही।हालाँकि, 2 साल से भी कम समय के भीतर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने उनकी आजीवन कारावास की शेष लंबी अवधि में छूट दे दी।इस न्यायालय ने राज्यपाल के उक्त आदेश को इस आधार पर रद्द कर दिया कि जब राज्यपाल को भौतिक तथ्यों के साथ तैनात नहीं किया गया था, तो राज्यपाल स्पष्ट रूप से निष्पक्ष और न्यायपूर्ण तरीके से शक्तियों का प्रयोग करने के अवसर से वंचित थे।इसके विपरीत, आक्षेपित आदेश, यह देखा गया कि "मनमानेपन पर अंकुश लगाता है"।

/

/

/

30. न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यदि क्षमा करने की शक्ति का "मनमाने ढंग से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से या संविधानवाद के सूक्ष्म नियमों की पूर्ण अवहेलना में प्रयोग किया गया था, तो उप-उत्पाद आदेश को यह अधिकार नहीं मिल सकता है।

8 (2006) 8 एससीसी 161 9 (2000) 5 एससीसी 170

/

विधि की मंजूरी और ऐसे मामलों में, न्यायिक हाथ उस पर बढ़ाया जाना चाहिए "(स्वर्ण सिंह मामला 6, एस. सी. सी. पृष्ठ 79, पैरा 12)।न्यायालय ने आगे कहा कि जब इन कार्यवाहियों में आक्षेपित राज्यपाल का आदेश मारू राम मामले 1 में निर्धारित सख्त मापदंडों के भीतर न्यायिक समीक्षा के अधीन है और केहर सिंह मामले 7 में दोहराया गया है "हम महसूस करते हैं कि राज्यपाल उन सामग्रियों के आलोक में दूध नाथ की याचिका पर पुनर्विचार करेंगे जिन्हें उन्हें पहले जानने का कोई अवसर नहीं मिला था" (एस. सी. सी. पृष्ठ 79, पैरा 13), और इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में एक नया आदेश पारित करने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को खुला छोड़ दिया।

/

31. सतपाल बनाम हरियाणा राज्य 9 में इस न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 161 के अंतर्गत माफी देने की शक्ति बहुत व्यापक है और इसमें इस बात की कोई सीमा नहीं है कि किस समय और किस अवसर पर और किन परिस्थितियों में उक्त शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है।

/

32. इसके बाद न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय दिया:(एस. सी. सी. पी. 174, पैरा 4) "संविधान द्वारा राज्यपाल को प्रदत्त संवैधानिक शक्ति होने के कारण उक्त शक्ति कुछ सीमित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है।इसलिए, न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्यपाल द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करना उचित होगा यदि राज्यपाल को सरकार द्वारा सलाह दिए बिना स्वयं शक्ति का प्रयोग करते हुए पाया जाता है या यदि राज्यपाल इसका प्रयोग करने में अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन करता है या यह स्थापित हो जाता है कि राज्यपाल ने बिना सोचे समझे आदेश पारित किया है या प्रश्न आदेश दुर्भावनापूर्ण है या राज्यपाल ने किसी बाहरी विचार पर आदेश पारित किया है। "

/

/

/

क्षमा की शक्ति पर न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों को विकास चटर्जी बनाम भारत संघ 10 में दोहराया गया है।" 6.1.1. यह पसायत, जे द्वारा समाप्त किया गया था:-

/

"34. अतः यह स्थिति निर्विवाद है कि अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश की न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है और उनके आदेशों को निम्नलिखित आधारों पर आक्षेपित किया जा सकता है:

10 (2004) 7 एससीसी 634 ए

/

प्यारे लाल बनाम हरियाणा राज्य [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

265

(क) कि आदेश बिना किसी विवेक के पारित किया गया है; (ख) कि आदेश दुर्भावनापूर्ण है;

(ग) कि आदेश बाहरी या पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों पर पारित किया गया है;

(घ) कि सुसंगत सामग्रियों को विचार से बाहर रखा गया है; (ङ) कि आदेश मनमानेपन से ग्रस्त है।

/

(जोर दिया गया)

... न्या।

...

...

/

59. जब ऊपर उल्लिखित विधि के सिद्धांतों पर तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में विचार किया जाता है तो यह स्पष्ट होता है कि अप्रासंगिक और बाहरी सामग्री निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रवेश करती है, जिससे यह दूषित हो जाता है।

60. माफी देने वाला आदेश जो याचिकाओं में आक्षेपित है, स्पष्ट रूप से अस्थिर है और इसे दरकिनार कर दिया गया है।हालाँकि, यह प्रतिवादी 1 के लिए खुला है कि वह पुनर्विचार के उद्देश्य से याचिका को लंबित माने।राज्यपाल के लिए यह खुला रहेगा कि वह राज्य के अधिकारियों द्वारा उनके समक्ष रखी गई सामग्री पर ध्यान दे और ऐसी पूछताछ भी करे जो प्रासंगिक कारकों का पता लगाने के उद्देश्य से आवश्यक और प्रासंगिक मानी जाए।रिट याचिकाओं को ऊपर बताए गए हद तक अनुज्ञात जाती है।व्यय सम्बन्धी कोई आदेश नहीं। "

/

/

6.2.जे. कपाडिया (तत्कालीन विद्वान मुख्य न्यायाधीश के रूप में) ने अपनी सहमति में कहाः-

“65. कार्यकारी क्षमादान का प्रयोग विवेक का विषय है और फिर भी कुछ मानकों के अधीन है।यह विशेषाधिकार की बात नहीं है।यह आधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन का मामला है।यह राष्ट्रपति या राज्यपाल में निहित है, जो भी मामला हो, केवल दोषी के लाभ के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के कल्याण के लिए है जो कर्तव्य के पालन पर जोर दे सकते हैं।इसलिए, इस विवेकाधिकार का प्रयोग केवल सार्वजनिक विचारों पर किया जाना चाहिए।राष्ट्रपति और राज्यपाल तथ्यों की पर्याप्तता और क्षमा और छूट देने की उपयुक्तता के एकमात्र न्यायाधीश हैं।हालाँकि, यह शक्ति संविधान में एक गणना की गई शक्ति है और इसकी सीमाएँ, यदि कोई हों, तो संविधान में ही पाई जानी चाहिए। इसलिए, अनन्य संज्ञान का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

/

/

/

कब और यदि आक्षेपित निर्णय किसी संवैधानिक प्रावधान का अपमान है।यह माफी, छूट, छूट और परिवर्तन प्रदान करते समय लागू की जाने वाली बुनियादी कार्य परीक्षा है।

66. क्षमा देना किसी भी अर्थ में दोषसिद्धि के निर्णय को उलटना नहीं है, बल्कि यह एक कार्यकारी कार्रवाई है जो किसी अपराध के लिए सजा को कम या अलग करती है।यह प्रतिवादी के अपराध या निर्दोषता को संबोधित किए बिना दोषसिद्धि के प्रभाव को समाप्त कर देता है।यह निर्धारित करने में नियंत्रण कारक कि क्या विशेषाधिकार का प्रयोग न्यायिक समीक्षा के अधीन है, इसका स्रोत नहीं है, बल्कि इसका विषय है।अब यह नहीं कहा जा सकता है कि विशेषाधिकार शक्ति न्यायिक समीक्षा से वस्तुतः मुक्त है।इस शक्ति के अनुचित प्रयोग की निंदा की जानी चाहिए।धर्म, जाति या राजनीतिक निष्ठा पर विचार करना अप्रासंगिक है और भेदभाव से भरा हुआ है।ये निषिद्ध आधार हैं।विधि का शासन सभी निर्णयों के मूल्यांकन का आधार है।विधि के शासन का सर्वोच्च गुण निष्पक्षता और विधि ी निश्चितता है।विधि के शासन में वैधता का सिद्धांत एक केंद्रीय योजना है। प्रत्येक विशेषाधिकार विधि के शासन के अधीन होना चाहिए। उस नियम से राजनीतिक लाभ के आधार पर समझौता नहीं किया जा सकता है।इस तरह के विचारों पर विचार करना विधि के शासन के मौलिक सिद्धांतों के खिलाफ होगा और यह एक खतरनाक मिसाल कायम करने के बराबर होगा। विधि के शासन के सिद्धांत में "विधि के अनुसार सरकार" की आवश्यकता शामिल है।"कानून के अनुसार सरकार" के लोकाचार के लिए विशेषाधिकार का प्रयोग इस तरह से करने की आवश्यकता है जो निष्पक्षता और निश्चितता के मूल सिद्धांत के अनुरूप हो।इसलिए, कार्यकारी क्षमादान की शक्ति न केवल दोषी के लाभ के लिए है, बल्कि ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति या राज्यपाल को, जैसा भी मामला हो, पीड़ितों के परिवार, समग्र रूप से समाज और भविष्य के लिए उसके द्वारा निर्धारित मिसाल पर अपने निर्णय के प्रभाव को ध्यान में रखना होगा।67. अनुच्छेद 72 के अंतर्गत और संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत भी शक्ति व्यापक आयाम की है और मामले-दर-मामले अलग-अलग तथ्यों और स्थितियों के साथ असंख्य प्रकार और मामलों की श्रेणियों की परिकल्पना की गई है।शक्ति का प्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और उस शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता या औचित्य को मामले दर मामले आंका जाता है।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग का हर पहलू ए में नहीं आता है।

/

/

/

/

/

/

/

प्यारे लाल बनाम हरियाणा राज्य [उदय उमेश ललित, जे.] ए.

267

न्यायिक क्षेत्र।कुछ मामलों में, एक विशेष पहलू न्यायोचित नहीं हो सकता है।हालाँकि, ऐसे मामलों में भी आवश्यक सामग्री मौजूद होनी चाहिए जिसके आधार पर अनुच्छेद 72 या संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया जाता है।इन परिस्थितियों में, कोई भी शक्ति के प्रयोग को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देश नहीं बना सकता है। "

/

(जोर दिया गया)

7. हरियाणा राज्य और अन्य बनाम जगदीश **11** की एक पीठ

इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों ने टिप्पणी की:- "46. आजीवन कारावास के दोषी की समय से पहले रिहाई के मामले पर विचार करते समय, अधिकारियों को मुख्य रूप से इस बात पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है कि क्या अपराध बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित किए बिना अपराध का एक व्यक्तिगत कार्य था; क्या भविष्य में अपराध करने की पुनरावृत्ति की कोई संभावना थी; क्या दोषी ने अपराध करने में अपनी क्षमता खो दी थी; क्या दोषी को और अधिक सीमित करने का कोई सार्थक उद्देश्य था; दोषी के परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और इसी तरह की अन्य परिस्थितियाँ। "

/

/

(जोर दिया गया)

8. देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) **12**

/

इस न्यायालय की खंड पीठ ने निष्कर्ष निकालाः- "47. जिन प्रस्तावों को निरस्त किए गए निर्णयों के अनुपात से निकाला जा सकता है, वे हैंः

47.1.संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को निहित शक्ति राज्य के विशेषाधिकार की अभिव्यक्ति है।यह न तो अनुग्रह की बात है और न ही विशेषाधिकार की बात है, बल्कि व्यापक लोक हित और लोगों के कल्याण के विचारों को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च कार्यपालिका द्वारा निभाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण संवैधानिक जिम्मेदारी है।
47.2.अनुच्छेद 72 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते समय, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना आवश्यक है।राष्ट्रपति को अपनी सलाह देने में, केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह दोषी के मामले को निष्पक्ष रूप से एक

/

/

11 (2010) 4 एससीसी 216 12 (2013) 6 एससीसी 195

/

उसके द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति और परिमाण, समाज पर इसके प्रभाव और सभी दोषपूर्ण और विस्तारित परिस्थितियों के बारे में स्पष्ट संकेत।यही बात राज्य सरकार के बारे में भी सच है, जिसके लिए राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए सलाह देना आवश्यक है।सरकार की सलाह मिलने पर, राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, को इस मामले में अंतिम निर्णय लेना होता है।हालाँकि, वह न्यायालय के अंतिम निर्णय को उलट नहीं सकता है, लेकिन उपयुक्त मामले में, राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, मामले के रिकॉर्ड को स्कैन करने के बाद, अपनी स्वतंत्र राय बना सकते हैं कि क्या कोई मामला क्षमा, स्थगन आदि के लिए बनाया गया है। किसी भी मामले में, राष्ट्रपति या राज्यपाल को, जैसा भी मामला हो, प्रासंगिक तथ्यों का संज्ञान लेना होगा और फिर यह तय करना होगा कि संविधान के अनुच्छेद 72 या 161 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के लिए कोई मामला बनाया गया है या नहीं।

/

/

(जोर दिया गया)

/

... ...

68. संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति या अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा लिए गए निर्णय को चुनौती देने की जांच करते समय, इस तरह के निर्णय की न्यायिक समीक्षा की अदालत की शक्ति बहुत सीमित है।न्यायालय न तो अपील में बैठ सकता है और न ही समीक्षा की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन यह पाए जाने पर हस्तक्षेप कर सकता है कि निर्णय प्रासंगिक कारकों पर ध्यान दिए बिना लिया गया है या यह बाहरी या अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है या दुर्भावना या पेटेंट मनमानेपन के कारण दूषित है (मारू राम बनाम भारत संघ 1, केहर)।

/

सिंह बनाम भारत संघ 7, स्वर्ण सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 6, सतपाल बनाम हरियाणा राज्य 9, विकास चटर्जी बनाम भारत संघ 10, एपुरू सुधाकर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार 8 और नारायण दत्त बनाम पंजाब राज्य 13)।

/

9. राज्य के विद्वत अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि नीति द्वारा निर्धारित शर्तों के भीतर आने वाला प्रत्येक दोषी, अर्थात (i) यदि दोषी की आयु पुरुष के मामले में 75 वर्ष और महिला के मामले में 65 वर्ष से अधिक थी, (ii) और यदि दोषी ने वास्तविक सजा के क्रमशः 8 वर्ष या 6 वर्ष पूरे कर लिए थे, (iii) और यदि जेल में दोषी का आचरण था

/

13 (2011) 4 एससीसी 353 ए

/

संतोषजनक है कि दोषी ने पिछले दो वर्षों में कोई बड़ा जेल अपराध नहीं किया था, (iv) और दोषी नीति के पैरा (2) में निर्धारित किसी भी अपवाद के भीतर नहीं आया था; दोषी को तुरंत रिहा कर दिया गया था।

यह भी स्वीकार किया जाता है कि किसी भी मामले से संबंधित कोई भी व्यक्तिगत तथ्य या सामग्री राज्यपाल के समक्ष नहीं रखी गई थी और प्रत्येक मामले में नीति के संदर्भ में कार्यपालिका द्वारा ही लाभ प्रदान किया गया था।इस प्रकार, राज्यपाल के पास अपराध की गंभीरता या जिस तरीके से

अपराध किया गया था या सोसायटी पर अपराध का प्रभाव या संबंधित अदालतों द्वारा मामले को कैसे देखा और विचार किया गया, जैसे प्रश्न पर गौर करने का अवसर नहीं था।

/

/

10. इस न्यायालय द्वारा तय किए गए मामलों की सुसंगत पंक्ति ने निर्धारित किया है कि संहिता की धारा 433-ए के सिद्धांत अनुच्छेद 72 या संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत संवैधानिक शक्ति के प्रयोग पर लागू नहीं होते हैं और न ही लागू हो सकते हैं।यह हमेशा स्वीकार किया गया है कि ऐसी संवैधानिक शक्ति के प्रयोग में किसी भी सीमा को नहीं पढ़ा जा सकता है और संप्रभु शक्ति संहिता की धारा 433-ए से उत्पन्न प्रतिबंधों से बाध्य नहीं होगी।

/

11. हालाँकि, प्रश्न यह उठता है कि क्या संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए, कुछ मानदंडों या अभिधारणाओं को निर्धारित करते हुए एक नीति निर्धारित की जा सकती है, जिसकी संतुष्टि के बाद राज्यपाल के समक्ष दोषी के मामले से संबंधित व्यक्तिगत तथ्यों और सामग्री को रखे बिना कार्यपालिका द्वारा दोषियों को लाभ प्रदान किया जा सकता है या प्रदान किया जा सकता है।यह सच है कि निष्कर्ष '(8)' में मारू राम 1 में ऐसी टिप्पणियां हैं कि प्रत्येक व्यक्तिगत मामले के लिए कोई अलग आदेश आवश्यक नहीं होगा, लेकिन मामलों के समूह की पहचान करने और पूरे समूह के लिए मन के अनुप्रयोग को इंगित करने के लिए एक सामान्य क्रम पर्याप्त स्पष्ट होना चाहिए।इस तरह के निष्कर्ष का आधार ऊपर उद्धृत पैराग्राफ में चर्चा में है, लेकिन साथ ही संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 18.07.1978 पर जारी आदेश, जिसने सर्वव्यापी तरीके से दोषियों को लाभ प्रदान किया था, न्यायालय की मंजूरी के साथ पूरा नहीं हुआ।इसके अलावा, मारू राम 1 में पैरा 69 में टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि उस समय मौजूद माफी और अल्प-सजा योजनाओं को क्षमा शक्ति के प्रयोग के लिए अच्छे दिशानिर्देशों के रूप में लिया जा सकता है।समान प्रभाव के लिए पैरा 70 में अवलोकन हैं।

/

/

/

/

12. इस न्यायालय के निर्णय क्योंकि मारू राम 1 और उनमें से कुछ इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की पीठों के निर्णय हैं, यह दर्शाते हैं कि संबंधित सामग्री को राज्यपाल के समक्ष रखा जाना चाहिए ताकि वह संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम हो सके और उस हिसाब से विफलता के परिणामस्वरूप संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत जारी किए गए माफी के संबंधित आदेशों को रद्द किया जा सकता है।उदाहरण के लिए, स्वर्ण सिंह 6 में पैरा 13 में टिप्पणियाँ और एपुरू सुधाकर 8 में पैरा 34 और 67 में टिप्पणियाँ इस बात पर जोर देती हैं कि संबंधित मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर और मामले के तथ्यों और सामग्रियों के आधार पर शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।टिप्पणियों में यह भी कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत शक्ति के प्रयोग के लिए पूरा मामला राज्यपाल के समक्ष होना चाहिए और अपराध की गंभीरता और अपराध करने के तरीके सहित सभी प्रासंगिक पहलुओं पर भी विचार किया जाना चाहिए।केवल शक्ति का वह प्रयोग, जिसमें मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार किया गया था, को सही और वैध माना जाना चाहिए।

/

/

/

13. हालाँकि, वर्तमान मामले में अपनाए गए तौर-तरीकों से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मामले के व्यक्तिगत तथ्यों और परिस्थितियों को राज्यपाल के सामने भी नहीं रखा गया था।बुनियादी पहलू अर्थात।, जिस तरह से अपराध किया गया था, समाज पर अपराध के प्रभाव और अपराध की गंभीरता को पूरी तरह से दबा दिया गया और नीति में निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत पृष्ठभूमि में हटा दिया गया और फिर यह देखने के लिए कार्यपालिका पर छोड़ दिया गया कि क्या कोई व्यक्तिगत मामला नीति द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर आता है।मामले के बुनियादी तथ्यों और परिस्थितियों पर गौर भी नहीं किया गया।इस तरह के अभ्यास की शुद्धता और औचित्य मुद्दा है।

/

/

14. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निष्कर्ष में अंतिम वाक्य (8) सहित मारू राम 1 में कुछ टिप्पणियों पर श्री शिखिल सूरी ने भरोसा किया था, विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि एक नीति द्वारा मानदंडों को निर्धारित करने का अभ्यास सही था और अपीलकर्ता को उचित रूप से छूट दी गई थी; और चूंकि मारू राम 1 में निर्णय इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा दिया गया था, हमारे सुविचारित विचार में, वर्तमान मामले को एक बड़ी पीठ के समक्ष रखे जाने की आवश्यकता है।

/

15. सुविधा के लिए, हम निम्नलिखित प्रश्नों को विचार के लिए तैयार कर सकते हैं:-

क्या संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ मानदंडों के अंतर्गत नीति विरचित जा सकती है या

/

अभिधारणाएं निर्धारित की जाती हैं, जिनकी संतुष्टि पर कार्यपालिका द्वारा राज्यपाल के समक्ष किसी भी मामले के संबंध में तथ्यों या सामग्री को रखे बिना छूट का लाभ दिया जा सकता है और क्या ऐसी कवायद संहिता की धारा 433-ए के अंतर्गत आवश्यकताओं को ओवरराइड कर सकती है।

16. इसलिए हम रजिस्ट्री को निर्देश देते हैं कि वह इस मामले को माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे ताकि वर्तमान मामले में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने के लिए उचित संख्या वाली पीठ का गठन किया जा सके।

/

17. अलग होने से पहले, हमें सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी सेवा समिति की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री शिखिल सूरी द्वारा प्रदान की गई सहायता के लिए अपनी सराहना दर्ज करनी चाहिए।

/

कल्पना के. त्रिपाठी

मामला बड़ी पीठ को भेजा गया।

/

/

/

/

/